:: महानिदेशालय कारागार राजस्थान जयपुर ::

क्रमांकः सामान्य / के.भं. / क्रय / 02 / 2019-20 / 71862-77 दिनांक: 28-2-2020

खुली प्रतियोगी दर अनुबंध बोली आमंत्रण सूचना

राज्य की महिला बंदी सुधार गृह जयपुर, जोधपुर, कोटा, बीकानेर, भरतपुर, अजमेर एवं उदयपुर के लिए भोजन में उपयोग होने वाले खाद्य मसालों की पिसाई हेतु कुल – 07 नग Spices Grinding Pulvenizer क्रय एवं इन्सटॉलेशन करने हेतु खुली प्रतियोगी दर अनुबंध बोली आमंत्रण सूचना जारी की जाती है।

अतः जो भी पंजीकृत बोलीदाता उक्त सामग्री हेतु अपनी दरें देने का इच्छुक है वह उक्त सामग्री की दरें दिनांक 06/03/2020 तक सीलबंद लिफाफे में दोपहर 1.00 बजे तक प्रस्तुत करे, प्राप्त बोलियों को दिनांक 06/03/2020 को दोपहर 2.00 बजे खोला जायेगा। बोली का अनुमानित वार्षिक मूल्य राशि रूपये 2.80 लाख है। बोली के साथ बोली प्रतिभूति राशि रूपये 5,600/- जमा करानी होगी। बोली प्रपत्र शुल्क 500/- रूपये है। जो नियमानुसार नकद राशि/डीडी/बैंकर चैक आदि जमा कराकर इस कार्यालय से प्राप्त किये जा सकते है अथवा निम्नांकित वैबसाईट से डाउनलोड कर निर्धारित शुल्क सहित भी प्रस्तुत की जा सकती है। उपकरणों की सूची व कार्य विवरण तथा बोली शर्तों का अवलोकन कार्यालय समय में किया जा सकता है जो सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, राजस्थान सरकार की वैबसाइट "www.dipr.rajasthan.gov.in" एवं कारागार विभाग की वैबसाइट "www.home.rajasthan.gov.in" एवं "www.sppp.rajasthan.gov.in" पर भी उपलब्ध है। किसी भी बोली को स्वीकार या अस्वीकार करने के संबंध में अंतिम निर्णय का अधिकार अद्योहस्ताक्षरकर्ता का होगा।

UBN No.

(विकास कुमार)
महानिरीक्षक कारागार-I
राजस्थान जयपुर

प्रतिलिपिः सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, महानिदेशक एवं महानिरीक्षक कारागार राजस्थान जयपुर।
2. उपापन समिति, अध्यक्ष/सदस्य...।
3. नोटिस बोर्ड मुख्यालय/रेंज कार्यालय/मंडल कार्यालय।
4. निदेशक, सूचना एवं जन संपर्क विभाग, राजस्थान जयपुर को प्रेषित कर निवेदन है कि खुली प्रतियोगी दर अनुबंध बोली आमंत्रण सूचना का राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 के नियम 43(6) के अनुसार एक क्षेत्रीय दैनिक समाचार पत्र में न्यूनतम स्पेस एवं अनुमोदित दरों पर न्यूनतम 10 दिवस की अवधि के लिए अविलम्ब प्रकाशन कराने का श्रम करावें।
5. प्रभारी अधिकारी भण्डार एवं सदस्य सचिव, उपापन समिति को प्रेषित करलेख है कि खुली प्रतियोगी दर अनुबंध बोली आमंत्रण सूचना काविभागीय वैबसाईट एवं एसपीपीपी पर अविलम्ब अपलोड करने की कार्यवाही सुनिश्चित करें।
6. उप-निदेशक, उधोग शाखा, महानिदेशालय कारागार राजस्थान, जयपुर।

महानिरीक्षक कारागार-I
राजस्थान जयपुर

कार्यालय महानिदेशालय कारागार राजस्थान घाटगेट, जयपुर

क्रमांकः सामान्य/के.भं./क्रय/02/2020-21/ 7/862-77 दिनांकः 28-2-2020

खुली प्रतियोगी दर अनुबंध बोली आमंत्रण सूचना

राज्य की महिला बंदी सुधार गृह जयपुर, जोधपुर, कोटा, बीकानेर, भरतपुर, अजमेर एवं उदयपुर के लिए भोजन में उपयोग होने वाले खाद्य मसालों की पिसाई हेतु कुल- 07 नग Spices Grinding Pulvenizer क्रय करने हेतु खुली प्रतियोगी दर अनुबंध बोली आमंत्रण सूचना जारी की जाती है।

अतः जो भी पंजीकृत बोलीदाता उक्त सामग्री हेतु अपनी दरें देने का इच्छुक है वह उक्त सामग्री की दरें दिनांक 06/03/2020 तक सीलबंद लिफाफे में दोपहर 1.00 बजे तक प्रस्तुत करे, प्राप्त बोलियों को दिनांक 06/03/2020 को दोपहर 2.00 बजे खोला जायेगा। बोली का अनुमानित वार्षिक मूल्य राशि रूपये 2.80 लाख है। बोली के साथ बोली प्रतिभूति राशि रूपये 5,600/- जमा करानी होगी। बोली प्रपत्र शुल्क 500/- रूपये है। जो नियमानुसार नकद राशि/डीडी/बैंकर चैक आदि जमा कराकर इस कार्यालय से प्राप्त किये जा सकते है अथवा निम्नाकिंत वैबसाईट से डाउनलोड़ कर निर्धारित शुल्क सहित भी प्रस्तुत की जा सकती है। कम्प्यूटर, उपकरणों की सूची व कार्य विवरण तथा बोली शर्तों का अवलोकन कार्यालय समय में किया जा सकता है जो सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, राजस्थान सरकार की वैबसाइट "www.dipr.rajasthan.gov.in" एवं कारागार विभाग की वैबसाइट "www.home.rajasthan.gov.in" एवं "www.sppp.rajasthan.gov.in" पर भी उपलब्ध है। किसी भी बोली को स्वीकार या अस्वीकार करने के संबंध में अंतिम निर्णय का अधिकार अद्योहस्ताक्षरकर्ता का होगा।

क्र. सं.	वस्तु का नाम	मात्रा	कुल अनुमानित राशि रूपये (लाखो मे)	बोली प्रतिभूति राशि	बोली प्रपत्र शुल्क	आपूर्ति अवधि
1.	Spices Grinding Pulvenizer	07 नग	02.80	5,600/-	500/-	20 दिवस

:- बोली की मुख्य शर्ते :-

1. खुली प्रतियोगी बोली हेतु निर्धारित बोली प्रपत्र शुल्क एवं बोली प्रतिभूति राशि "महानिदेशक एवं महानिरीक्षक कारागार राजस्थान, जयपुर" के नाम जारी बैंकर चैक/डिमाण्ड ड्राफ्ट के रूप में दी जायेगी।
2. खुली बोली हेतु बोली प्रपत्र दिनांक 06/03/2020 दोपहर 1.00 पीएम तक इस कार्यालय में व्यक्तिशः उपस्थित होकर निर्धारित राशि का शुल्क जमा कराये जाकर प्राप्त किये जा सकते है अथवा विभागीय वैबसाईट www. home.rajasthan.gov.in अथवा राजस्थान सरकार के राज्य लोक उपापन पोर्टल www.sppp.rajasthan.gov.in से डाउनलोड़ कर निर्धारित बोली प्रपत्र शुल्क राशि के साथ इस कार्यालय में दिनांक 06/03/2020 को दोपहर 2.00 बजे तक वांछित समस्त दस्तावेज, बोली प्रतिभूति राशि के बैंकर चैक/डिमाण्ड ड्राफ्ट जमा कराना होगा।
3. बोली दाता अपनी बोली दर बोली प्रपत्र में सामने ही अंकित करेंगें। पृथक प्रपत्र में तथा उपरोक्त स्पेशिफिकेशन के अतिरिक्त बोली स्वीकार नही की जावेगीं। अगर बोली दरें उपरोक्त स्पेशिफिकेशन से पृथक दर दी गई तो बोलियां अस्वीकृत की जा सकेगी। बोली के साथ निर्धारित बोली प्रतिभूति राशि "महानिदेशक एवं महानिरीक्षक कारागार राजस्थान, जयपुर" के नाम जारी बैंकर चैक/डिमाण्ड ड्राफ्ट संलग्न करना होगा। खुली बोली हेतु वांछित समस्त दस्तावेजों की स्वहस्ताक्षरित छायाप्रतियां बोली प्रपत्र के साथ प्रस्तुत करनी होगी।
4. राजस्थान में स्थापित सूक्ष्म एवं लघु उद्यम ईकाई हेतुः-

   (i) खुली प्रतियोगी बोली विस्तृत आमंत्रण सूचना में अंकित राजस्थान सरकार के नोटिफिकेशन दिनांक 19.11.2015 के बिन्दु संख्या 2 के अनुसार "सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006" के अधीन वर्गीकृत और राजस्थान में स्थित तथा उद्योग विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त "सूक्ष्म" एवं "लघु" उद्यम से क्रय किये

जाने के लिए आरक्षित है। आरक्षित उद्यम के अतिरिक्त अन्य बोलीदाता द्वारा बोली प्रस्तुत किये जाने पर आरक्षित उद्यम को प्राथमिकता प्रदान की जावेगी। आरक्षित उद्यम से भिन्न बोलीदाता द्वारा प्रस्तुत बोली की दर का नियमानुसार अनुमोदन किया जावेगा।

(ii) किसी भी आइटम की बोली प्रस्तुत करने के लिए राजस्थान राज्य में पंजीकृत वे फर्मे पात्र मानी जावेगी जिन्हें सूक्ष्म एवं लघु उद्यम के रूप मे बोली जमा कराने की अंतिम तिथि से पूर्व उद्यमिता ज्ञापन II अभिस्वीकृति अथवा उद्योग आधार मेमोरेण्डम प्राप्त कर लिया हो।

(iii) राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 के तहत् वित्त विभाग राजस्थान द्वारा जारी नोटिफिकेशन दिनांक 19.11.2015 के बिन्दु संख्या 8 के अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी उद्यमी ज्ञापन–II/उद्योग आधार ज्ञापन की अभिस्वीकृति रखने वाले तथा स्वयं द्वारा अनुप्रमाणित प्रतिलिपि प्रस्तुत करने पर राज्य के सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के लिए बोली दस्तावेज, प्रपत्र शुल्क के 50 प्रतिशत पर, बोली प्रतिभूति राशि 0.50 प्रतिशत तथा निष्पादन प्रतिभूति राशि माल के प्रदाय के लिए प्रस्तावित परिमाण की रकम का 1 प्रतिशत देय होगी।

(iv) वित्त विभाग राजस्थान सरकार के गजट नोटिफिकेशन दिनांक 19.11.15 के नियम 12 की पालना मे विभागीय कमेटी द्वारा राजस्थान राज्य की सूक्ष्म एवं लघु उद्यम इकाई की उत्पादन क्षमता के बारे में और किस्म नियंत्रण के उपाय स्थापित है, के समाधान हेतु उत्पादन इकाई का निरीक्षण किया जा सकेगा।

(v) वित्त विभाग राजस्थान सरकार के गजट नोटिफिकेशन दिनांक 19.11.15 के नियम 11 के अनुसार बोलीदाता द्वारा बोली दस्तावेज के साथ प्रारूप "ख" में शपथ पत्र (Affidavit) प्रस्तुत करना होगा। शपथ पत्र का रूप विधान बोली दस्तावेज के संलग्न है।

(vi) वित्त विभाग राजस्थान द्वारा जारी नोटिफिकेशन दिनांक 19.11.2015 के बिन्दु संख्या 4 के अनुसार अनुसूची में सम्मिलित नही की गई वस्तुओं के लिए स्थानीय उद्यमों को कीमत व क्रय अधिमानता प्रदान की जायेगी। उक्त अधिमानता चाहने के क्रम में स्थानीय उद्यम बोलीदाता द्वारा बिन्दु संख्या 10 अनुसार प्रारुप 'क' मय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

5. बोली के साथ बोलीदाता द्वारा जी.एस.टी. का पंजीयन प्रमाण पत्र एवं बिक्रीकर शोधन/वेट शोधन का शपथ पत्र (इस संबंध में बोली परिशिष्ट–स की शर्त संख्या 4(ii) देखें) प्रस्तुत करेंगे।
6. जी.एस.टी. का पंजीयन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
7. समस्त प्रमाण–पत्र हिन्दी अथवा अंग्रेजी में होने चाहिए।
8. दरों की वैधता–प्राईस बिड खुलने की तिथि से 90 दिन तक मान्य होगी।
9. बोली के साथ सभी वांछित दस्तावेज/प्रमाण पत्र बोली जमा कराने की अंतिम तिथि को वैध होने चाहिए।
10. विस्तृत शर्तो के लिए विभागीय बोली परिशिष्ट– अ, ब, स तथा द एवं अनुलग्नक–अ, ब, स, द का सावधानीपूर्वक अध्ययन करके बोली में भाग ले सकते है। उक्त मुख्य शर्तो एवं विभागीय बोली परिशिष्ट अ, ब, स एवं द तथा अनुलग्नक–अ, ब, स, द में उल्लेखित शर्तो के विपरीत कोई शर्त स्वीकार नहीं की जायेगी। सभी विभागीय बोली शर्तो को स्वीकार करने के प्रमाण स्वरूप परिषिष्ट 'द' एवं अनुलग्नक 'ब' हस्ताक्षर उपरान्त प्रस्तुत करना होगा। इसके अभाव में बोली निरस्त कर दी जावेगी। यदि किसी बोलीदाता ने विभागीय शर्तो के विपरीत कोई शर्त लगाई है तो वह बोली निरस्त कर दी जावेगी।
11. सामान का मैक, कम्पनी का नाम अंकित होना चाहिए एवं सामान की दरें जी.एस.टी. सहित होनी चाहिए। किसी भी परिस्थिति में बोली दरें MRP से अधिक नही होगी।
12. बोली दरें अपरिहार्य कारणों से पारस्परिक सहमति के आधार पर तीन माह तक बढ़ाया जा सकता है किन्तु शर्त यह है कि दर संविदा के अधीन उपाप्त की जाने वाली उपापन की विषय वस्तु या उसके घटको की बाजार कीमतें इस कालावधि के दौरान गिर न गयी हों।

13. सामान मुख्यालय भण्डार तक पहुंचाना होगा जिसका किसी प्रकार का किराया व खर्चा विभाग द्वारा नहीं दिया जावेगा
14. बोली की दरें स्वीकृत/अस्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार महानिदेशक कारागार राजस्थान जयपुर का होगा।
15. बोली दाता अपनी बोली दर बोली प्रपत्र के आइटमों के सामने ही अंकित करेंगें। पृथक प्रपत्र में तथा उपरोक्त स्पेशिफिकेशन के अतिरिक्त बोली स्वीकार नही की जावेगीं। अगर बोली दरें उपरोक्त स्पेशिफिकेशन से पृथक दर दी गई तो बोलियां अस्वीकृत की जा सकेगी।
16. सामान बोली प्रपत्र में उल्लेखित स्पेशिफिकेशन के अनुसार ही होगा।
17. बोली के साथ बोली प्रतिभूति राशि प्राप्त नही होने पर बोली पर विचार नही किया जावेगा।
18. रजिस्टर के मुख पृष्ठ पर पृष्ठ संख्या का अंकन होना आवश्यक है।
19. क्रय किये जाने वाले सामान की मात्रा घटाई व बढ़ाई जा सकती है।
20. बोली दाता द्वारा आपूर्ति की गई सामग्री स्पेशिफिकेशन के अनुरूप अथवा क्वालिटी उचित नही होने पर वापिस लौटायी जा सकेगी जिसे बोली दाता द्वारा स्वयं के खर्चे पर बदलकर विभागीय स्पेशिफिकेशन अनुसार निर्धारित समय में आपूर्ति करनी होगी। आपूर्ति नही करने की स्थिति में विभाग द्वारा सामान बाजार से क्रय किया जा सकेगा जिसके अंतर की राशि एवं सामग्री के मूल्य के 10 प्रतिशत राशि बतौर पैनल्टी फर्म के लंबित भुगतान/धरोहर राशि से वसूल की जा सकेगी।
21. बोली प्रपत्र के कॉलम संख्या 6 में दर एक ही स्पेशिफिकेशन की दी जानी होगी।
22. विभाग द्वारा अनुमोदित फाईल कवर ही आपूर्ति किये जायेगे, जिसका नमूना उपलब्ध करवा दिया जावेगा।
23. फर्म द्वारा मजबूत एवं पुष्ट आधार प्रस्तुत करने पर ही विभागीय उपापन समिति किसी प्रकरण विशेष में गुणावगुण के आधार पर यदि उचित समझती है या किसी प्रक्रियात्मक त्रुटि के कारण प्रतिस्पर्धा बाधित होती है तो वांछनीय दस्तावेज एवं वांछित स्पष्टीकरण प्राप्त करने का निर्णय ले सकती है।
24. विभागीय उपापन समिति के निर्णायनुसार "महानिदेशक एवं महानिरीक्षक कारागार राजस्थान, जयपुर" किसी भी बोली अथवा उसके भाग को बिना कारण बताये अस्वीकार कर सकेगें।
25. राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 के तहत प्रथम अपील अधिकारी महानिदेशक एवं महानिरीक्षक कारागार राजस्थान जयपुर होंगे एवं द्वितीय अपील अधिकारी प्रमुख शासन सचिव, गृह विभाग, शासन सचिवालय, राज. जयपुर होंगे।
26. सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम, राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 एवं राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 तथा वित्त विभाग का नोटिफिकेशन दिनांक 19.11.2015 के प्रावधान यथा आवश्यकता/स्थानानुसार लागू रहेगें।
27. बोली के मूल्यांकन की कसौटी बोली की शर्तो एवं स्पेसिफिकेशन के अनुसार बोली में क्वालीफाईड होने पर न्यूनतम कीमत होगा।
28. दर संविदा के अधीन कीमतें, कीमत गिरने के अध्यधीन होगी। यदि दर संविदा धारक, दर संविदा के चालू रहने के दौरान किसी भी समय राज्य में किसी को दर संविदा कीमत से कम कीमत पर समान माल देने के लिए उसकी कीमत कोट करता/कम करता है तो उस दर संविदा के अधीन उपापन की विषय वस्तु के समस्त परिदान के लिए दर संविदा कीमत, कीमत कम करने या कोट करने की तारीख से स्वतः कम हो जायेगी और दर संविदा तदनुसार संशोधित की जायेगी।
29. आईटम की स्पेसिफिकेशन एवं उत्तम गुणवत्ता के अनुरूप अन्य समकक्ष कम्पनी/ब्राण्ड/मैक भी हो सकते है।
30. राज्य की संबंधित कारागृहों के लिए क्रय की जाने वाली उक्त मशीनों को निरीक्षण उपरान्त संबंधित कारागृहों पर स्थापित करने का कार्य संबंधित फर्म द्वारा किया जायेगा एवं इसका अतिरिक्त चार्ज देय नहीं दिया जायेगा।

31. मशीनरी आपूर्ति दिनांक से एक वर्ष तक के लिए मेन्टीनेन्स/पार्टस की वारन्टी अवधि की एक वर्ष की जिम्मेदारी संबंधित फर्म की होगी, एक वर्ष बाद ही जमानती राशि वापस लौटाई जावेगी।

32. विभाग द्वारा डेमोस्ट्रेशन करवाने पर लाल मिर्च, हल्दी, धनिया की पिसाई कर दिखलानी होगी।

33. बोली के सम्बन्ध में किसी प्रकार की समस्या/संदेह हो तो निम्नलिखित अधिकारियों से सम्पर्क किया जा सकता है:-

    1. महानिदेशक कारागार राजस्थान, जयपुर
       दूरभाष नं. 0141-2601047 ई-मेल purchasejhq@gmail.com
    2. अधीक्षक, भण्डार, मुख्यालय कारागार राजस्थान, जयपुर।
       दूरभाष नं. 0141-2619202 ई-मेल purchasejhq@gmail.com

(विकास कुमार)
महानिरीक्षक कारागार-I
राजस्थान जयपुर

कार्यालय महानिदेशालय-कारागार राजस्थान घाटगेट, जयपुर

(बोली प्रपत्र)

परिशिष्ट ''अ''

घोषणा

बोली आमंत्रण क्रमांकः दिनांक :

(I) .... के लिए बोली
(खाली स्थान में उस आईटम का नाम लिखे, जिसके लिए बोली दी गई है)

(II) बोली प्रस्तुत करने वाली फर्म :–..
का नाम व डाक का पूर्ण पता :–..
दूरभाष एवं फैक्स नम्बर ईमेल सहिद्व :–...
....

(III) बोली जिसे प्रस्तुत करनी है :– महानिदेशक एवं महानिरीक्षक कारागार राजस्थान, जयपुर।

(IV) बोली प्रपत्र शुल्क :– राशि रुपये .... बैंकर चैक/डिमाण्ड ड्राफ्ट संख्या..........................
दिनांक .... द्वारा जमा करा दी गई है ।

(V) हम बोली आमंत्रण संख्या .... दिनांक .... में वर्णित सभी शर्तो से तथा विभागीय शर्तो से संबंधित परिशिष्ट ''स'' में वर्णित शर्तो से बाध्य होना स्वीकार करते है।

(VI) हम सहमत हैं कि विभाग द्वारा बोली सूचना में अंकित सप्लाई अवधि में समस्त माल की सुपुर्दगी कर दी जाएगी।

(VII) हम सम्पुष्टि करते है कि ''बिड'' में अंकित की गई दरें '' बिड'' खुलने की तिथि से 90 दिन तक विधि मान्य है।

(VII) हम सम्पुष्टि करते हैं कि हमारे द्वारा अंकित दरें विभागीय बोली प्रपत्र ''ब'' में अंकित स्पेसिफिकेशन के लिये हैं।

(IX) हमारा जी.एस.टी. पंजीयन संख्या .... है।

(X) हम सम्पुष्टि करते हैं कि दरें स्वीकार होने की सूचना से निर्धारित अवधि में निर्धारित प्रारूप में विभाग से करार निष्पादन करेगें, जिसके अभाव में बोली निरस्त योग्य है।

(XI) हम सम्पुष्टि करते हैं कि आवश्यक दस्तावेज के अभाव में बोली निरस्त करने योग्य है। आवश्यक दस्तावेज संलग्न किये गये है जिनका विवरण निम्न प्रकार है:–

S.N.	Type of Certificate & Other informations	Yes/ No	Date of issue/ Validity
1.	Whether Bid Document Fee is submitted with Bid. provide details Banker Cheque/ DD no.............. dt.............		
2.	Whether Bid Security submitted with Bid. provide details DD/Banker Cheque/Challan receipt No.................... date.............. amount		
3.	Whether agreed with all Bid Conditions		
4.	Whether "Parishisht"–D have been signed and submitted with Bid		
5.	Whether GST Registration Certificate is submitted with Bid		
6.	Whether Last Six Month Sales Tax/VAT clearance Affidavit is submitted with Bid		
7.	Whether Micro Small Enterprises Registration EM-II/Udyog Adhar Certificate issued by the Govt. of Rajasthan is submitted with Bid.		
8.	If applied as Micro Small Enterprises, whether affidavit for Production Capicity under rule 11 of Gazette Notification dated 19.11.15 in Form 'B' is submitted with Bid.		
9.	Bankers Certificate regarding running bank account, if bidder has submitted Bid for the first time		

(XII) हमारे द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त दस्तावेज हिन्दी अथवा अंग्रेजी भाषा में है तथा अन्य भाषा में होने पर उनका हिन्दी अथवा अंग्रेजी का प्रमाणित रूपान्तरण भी प्रस्तुत किया गया है।

(XIII) हमारे द्वारा वांछित आइटम के एक नमूना/सैम्पल कार्यालय में भौतिक रूप से उपस्थित होकर प्रस्तुत कर दिये जायेंगें। नमूना/सैम्पल के अभाव में बोली निरस्त योग्य है।

बोलीदाता के हस्ताक्षर
मय मोहर

महानिदेशालय कारागार राजस्थान जयपुर

परिशिष्ट–''स''

खुली प्रतियोगी बोली के लिए बोली एवं संविदा की सामान्य शर्तें

नोटः– बोलीदाताओं को इन शर्तों को सावधानीपूर्वक पढना चाहिये।

1. **बोली भरने की प्रक्रियाः–** बोली सूचना में दी गई मुख्य शर्तों में अंकित है जिसकी पूर्ण पालना आवश्यक है ।

2. **राजस्थान में स्थापित सूक्ष्म एवं लघु उद्यम ईकाई हेतुः–**

(i) खुली प्रतियोगी बोली विस्तृत आमंत्रण सूचना में अंकित सामग्री वित्त विभाग राजस्थान सरकार के नोटिफिकेशन दिनांक 19.11.2015 के बिन्दु संख्या 2 के अनुसार ''सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006'' के अधीन वर्गीकृत और राजस्थान में स्थित तथा उद्योग विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त ''सूक्ष्म'' एवं ''लघु'' उद्यम से क्रय किये जाने के लिए आरक्षित है। आरक्षित उद्यम के अतिरिक्त अन्य बोलीदाता द्वारा बोली प्रस्तुत किये जाने पर आरक्षित उद्यम को प्राथमिकता प्रदान की जावेगी। आरक्षित उद्यम से भिन्न बोलीदाता द्वारा प्रस्तुत बोली की दर का नियमानुसार अनुमोदन किया जावेगा।

(ii) किसी भी आइटम की बोली प्रस्तुत करने के लिए राजस्थान राज्य में पंजीकृत वे फर्मे पात्र मानी जावेगी जिन्हें सूक्ष्म एवं लघु उद्यम के रूप मे बोली जमा कराने की अंतिम तिथि से पूर्व उद्यमिता ज्ञापन II अभिस्वीकृति अथवा उद्योग आधार मेमोरेण्डम प्राप्त कर लिया हो।

(iii) राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 के तहत् वित्त विभाग राजस्थान द्वारा जारी नोटिफिकेशन दिनांक 19.11.2015 के बिन्दु संख्या 8 के अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी उद्यमी ज्ञापन–II/उद्योग आधार ज्ञापन की अभिस्वीकृति रखने वाले तथा स्वयं द्वारा अनुप्रमाणित प्रतिलिपि प्रस्तुत करने पर राज्य के सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के लिए बोली दस्तावेज, प्रपत्र शुल्क के 50 प्रतिशत पर, बोली प्रतिभूति राशि 0.50 प्रतिशत तथा निष्पादन प्रतिभूति राशि माल के प्रदाय के लिए प्रस्तावित परिमाण की रकम का 1 प्रतिशत देय होगी।

(iv) वित्त विभाग राजस्थान सरकार के गजट नोटिफिकेशन दिनांक 19.11.15 के नियम 12 की पालना मे विभागीय कमेटी द्वारा राजस्थान राज्य की सूक्ष्म एवं लघु उद्यम इकाई की उत्पादन क्षमता के बारे में और किस्म नियंत्रण के उपाय स्थापित है, के समाधान हेतु उत्पादन इकाई का निरीक्षण किया जा सकेगा।

(v) वित्त विभाग राजस्थान सरकार के गजट नोटिफिकेशन दिनांक 19.11.15 के नियम 11 के अनुसार बोलीदाता द्वारा बोली दस्तावेज के साथ प्रारूप ''ख'' में शपथ पत्र (Affidavit) प्रस्तुत करना होगा। शपथ पत्र का रूप विधान बोली दस्तावेज के संलग्न है।

(vi) वित्त विभाग राजस्थान द्वारा जारी नोटिफिकेशन दिनांक 19.11.2015 के बिन्दु संख्या 4 के अनुसार अनुसूची में सम्मिलित नही की गई वस्तुओं के लिए स्थानीय उद्यमों को कीमत व क्रय अधिमानता प्रदान की जायेगी। उक्त अधिमानता चाहने के क्रम में स्थानीय उद्यम बोलीदाता द्वारा बिन्दु संख्या 10 अनुसार प्रारूप 'क' मय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

3. (i) फर्म आदि के गठन में किसी भी परिवर्तन की सूचना ''महानिदेशक एवं महानिरीक्षक कारागार, राजस्थान जयपुर'' को लिखित में बोलीदाता द्वारा दी जाएगी तथा इस परिवर्तन से संविदा के अधीन किसी भी दायित्व से फर्म के पहले के सदस्य/सदस्यों को मुक्त नही किया जाएगा।

(ii) संविदा के संबंध में फर्म में किसी भी नये भागीदार/भागीदारों को बोलीदाता द्वारा फर्म में तब तक स्वीकार नही किया जाएगा जब तक कि वे इसकी समस्त शर्तो को मानने के लिए लिखित रूप से बाध्य नही हो जाते एवं ''महानिदेशक एवं महानिरीक्षक

कारागार, राजस्थान जयपुर" को इस संबंध में लिखित इकरारनामा प्रस्तुत नही कर देते । प्राप्ति स्वीकृति के लिए ठेकेदार की रसीद या बाद में उपरोक्त रूप से स्वीकार की गई किसी भागीदार की रसीद उन सबकों बाध्य करेगी तथा संविदा के किसी प्रयोजन के लिए वह पर्याप्त रूप से उन्मुक्ति (डिस्चार्ज) होगी।

4. **जीएसटी पंजीयन प्रमाण पत्र (GST Registration Certificate) :–**

(i) कोई भी बोलीदाता जो जीएसटी के अन्तर्गत पंजीकृत नही है, वह बोली नही दे सकेगा। बोलीदाता द्वारा पंजीयन संख्या का उल्लेख किया जाऐगा। प्रमाण–पत्र की प्रति प्रस्तुत करना होगा।

(ii) राजस्थान स्थित फर्मो द्वारा गत छः माह से अधिक वेट/बिक्रीकर बकाया नही होने का शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।

5. बोलीदाता बोली एवं बोली की समस्त शर्तो को स्वीकार करने के प्रमाण स्वरूप परिशिष्ट–'द' एवं अनुलग्नक 'ब' पर अपने हस्ताक्षर उपरान्त साथ प्रस्तुत करें। यदि बोलीदाता द्वारा उक्तानुसार परिशिष्ट 'द' एवं अनुलग्नक 'ब' हस्ताक्षर करके प्रस्तुत नहीं किया गया है तो बोली निरस्त कर दी जावेगी।

6. **दरें :–**

(i) बोली में दरे शब्दो एवं अंको दोनो रूप में लिखी जावेंगी। इसमें कोई त्रुटि (Errors) एवं उपरिलेखन (Overwriting) नही होना चाहिये। यदि कोई शुद्धि करनी हो तो स्पष्ट रूप से की जानी चाहिये एवं दिनांक सहित उन पर लघु हस्ताक्षर किये जाने चाहिए।

(ii) बोली मूल्याकंन समिति निम्नलिखित आधार पर सारभूत रूप से प्रत्युत्तरदायी बोलियों में अंकगणितीय त्रुटियों का सुधार करेगी :–

(क) ईकाई मूल्य (Unite Price) और कुल मूल्य (Total Price) जो ईकाई मूल्य और मात्रा को गुणा करने पर प्राप्त होता है, के मध्य यदि कोई विसंगति हो तो ईकाई मूल्य प्रभावी (Prevail) होगा। अर्थात ईकाई मूल्य स्वीकार किया जावेगा और कुल मूल्य में सुधार किया जावेगा। जब तक कि बोली मूल्याकंन समिति की राय में ईकाई मूल्य में दशमलव बिन्दु की स्थिति में स्पष्ट गलती रह गई है, ऐसे मामलों में उत्कथित कुल मूल्य प्रभावी होगा और ईकाई मूल्य में सुधार किया जावेगा।

(ख) यदि योग के घटकों को जोड़ने या घटाने के कारण योग में त्रुटि रह गयी है तो घटक (Sub Total) प्रभावी (Prevail) होंगे और कुल योग में सुधार किया जावेगा।

(ग) यदि शब्दों और अंको के मध्य कोई विसंगति है तो शब्दों में व्यक्त की गई रकम तब तक प्रभावी होगी जब तक कि शब्दों में अभिव्यक्त रकम कोई अंकगणितीय त्रुटि से संबंधित न हो।

ऐसे मामलों में उपर्युक्त खण्ड (क) और (ख) के अध्यधीन न रहते हुए अंको में अभिव्यक्त रकम प्रभावी होगी।

(iii) बोली में दर अंकित करते समय मय GST दर अंकित की जांवे। अस्पष्ट वाक्य, जैसे "टैक्स पैड" "कर सहित" "एज एप्लीकेबल" का प्रयोग नहीं किया जावे। टैक्स में रियायत मिली हुई है तो इस बात का स्पष्ट उल्लेख करें एवं इसका प्रमाण भी प्रस्तुत करे। यदि सरकार द्वारा GST में कालान्तर में बढोतरी या कमी की जाती है तो उसी के अनुसार भुगतान किया जावेगा।

(iv) बोली में दरें परिशिष्ट "ब" के अनुसार गन्तव्य स्थान तक एफ.ओ.आर. अंकित की जानी चाहिये तथा उसमें जीएसटी के अलावा समस्त प्रकार के टैक्स एवं आनुषंगिक (Incidental) प्रभारों को शामिल करना चाहिये। राज्य सरकार द्वारा कोई गाडी भाडा या परिवहन प्रभार नहीं दिया जाएगा तथा माल की सुपुर्दगी महानिदेशालय कारागार राजस्थान घाटगेट जयपुर के भण्डार में दी जाऐगी।

(v) बोली में दर अंकित करते समय किसी भी प्रकार की रिबेट/छूट घटाकर शुद्ध दरें (NET) ही दी जावे।

(vi) सप्लाई के समय अग्रिम भुगतान की शर्त स्वीकार्य नही होगी। अतः बोली में दर अंकित करते समय अग्रिम भुगतान की शर्त नही दी जावे। यदि अग्रिम भुगतान की शर्त लगाई जाती है तो सशर्त बोली मानकर निरस्त कर दी जावेगी।

(vii) सप्लाई के समय माल प्राप्त होने पर निरीक्षण उपरान्त माल विभागीय स्पेशिफिकेशन के अनुसार पाये जाने पर यथाशीघ्र बजट उपलब्धता पर भुगतान कर दिया जावेगा। अतः बोली में दर अंकित करते समय माल की सप्लाई के पूर्ण करने पर भुगतान हेतु समय सीमा की शर्त अंकित नही की जावे। यदि भुगतान हेतु समय सीमा अंकित की जावेगी तो सशर्त बोली मानकर निरस्त की जा सकेगी।

(viii) विभागीय सप्लाई अवधि के अनुसार ही बोली में दरें अंकित की जायें। विभागीय सप्लाई अवधि के अनुसार नही दी गई दरें अमान्य होगीं व बोली निरस्त की जा सकेगी ।

(ix) बोली दरें खुलने के पश्चात यदि कोई बोलीदाता अपने आप दर में कमी करता है तो वह प्रस्तावों में उपान्तरण माना जावेगा। जिसके कारण उसकी बोली निरस्त कर बोली प्रतिभूति राशि जब्त कर ली जावेगी।

(x) बोलीदाता द्वारा बोली आमंत्रण में अंकित पूर्ण मात्रा हेतु बोली दी जावेगी। बोली आमंत्रण में अंकित मात्रा से कम मात्रा हेतु दी गई बोली मान्य नही होगी। जिसके आधार पर बोली निरस्त कर दी जावेगी।

(xi) किसी आईटम की विभिन्न साईज है तो प्राईस बिड में सभी साईज की एक ही दर अंकित की जावे ।यदि विभिन्न साईज की अलग–अलग दरें अंकित की जावेगी तो उसकी बोली अमान्य की जावेगी।

7. <u>बातचीत (Negotiation) :–</u>

(i) जहाँ तक संभव हो बोलीदाताओं से कोई बातचीत (Negotiation) नही की जावेगी, किन्तु निम्न परिस्थितियों में केवल न्यूनतम या अधिकतम लाभप्रद बोली लगाने वाले से बातचीत की जा सकेगी:–

(क) जब बोली लगाने वालों के द्वारा मिलकर समूह कीमतें (Ring Price) दी गई हो या

(ख) जब प्रस्तुत दर एवं प्रचलित बाजार दरों में भारी अन्तर हो।

(ii) न्यूनतम या सर्वाधिक लाभप्रद बोली लगाने वाले को बातचीत (Negotiation) के लिए बुलाने के लिए न्यूनतम 7 दिवस का समय दिया जावेगा। किन्तु अत्यावश्यकता की स्थिति में मूल्यांकन समिति उक्त समय सीमा को कम कर सकेगी, बशर्ते न्यूनतम या सर्वाधिक लाभप्रद बोली लगाने वाले को सूचना प्राप्त हो गई हो।

8. <u>बोली की विधि मान्यता:–</u>

दरों की वैद्यता बिड खुलने की तिथि से 90 दिन की अवधि के लिए विधि मान्य होगी। निर्धारित विधि मान्यता की अवधि से कम अवधि के लिए कोई बोली गैर प्रत्युत्तरदायी (Non-Responsive bid) के रूप में मानकर अस्वीकार कर दी जावेगी।

9 अनुमोदित सप्लायर के लिए यह समझा जायेगा कि उसने प्रदाय की जाने वाली वस्तुओं की दशा, स्पेसिफिकेशन, साईज, मेक एवं ड्राईंग आदि की सावधानी पूर्वक जांच कर ली है। यदि उसे इन शर्तो के किसी भाग, स्पेशिफिकेशन, ड्राईग आदि के आशय के बारे में कोई सन्देह हो तो वह बोली प्रस्तुत करने से पूर्व अपना आवेदन "महानिदेशक एवं महानिरीक्षक कारागार, राजस्थान जयपुर" को भेजेगा तथा उनसे स्पष्टीकरण प्राप्त करेगा।

10. बोलीदाता अपनी संविदा को या उसके किसी सारवान भाग को किसी अन्य एजेन्सी के लिए नहीं सौपेगा या उप भाडे (Sub-let) पर नहीं देगा।

11. <u>स्पेसिफिकेशन:–</u>

(i) प्रदाय की जाने वाली सभी वस्तुएं बोली एवं बोली शर्तो से संबंधित परिशिष्ट "ब" में निर्धारित स्पेसिफिकेशन/ट्रेडमार्क के पूर्णतया अनुरूप होगी। ऐसे मामलो मे जहाँ कोई स्टैण्डर्ड या स्पेसिफिकेशन नहीं हो, उस स्थिति में सप्लायर द्वारा भारत में उपलब्ध अति–उत्तम गुणवत्ता एवं विवरण की वस्तु सप्लाई की जावेगी। प्रदाय की गई वस्तुओ की गुणवत्ता एवं स्पेसिफिकेशन के संबंध में "महानिदेशक एवं महानिरीक्षक कारागार राजस्थान, जयपुर" का निर्णय अंतिम होगा तथा लिया गया निर्णय बोलीदाताओं के लिए अंतिम एवं मान्य होगा।

(ii) यदि प्रदाय की जाने वाली वस्तुऐ निर्धारित स्तर के अभाव में अस्वीकार कर दी जाती है, तो अस्वीकृत माल के बदले निर्धारित स्तर की वस्तु देने की समस्त जिम्मेदारी बोलीदाताओं की होगी तथा बोलीदाताओं को अस्वीकृत किये माल के बदले निर्धारित स्तर का माल बिना अतिरिक्त कीमत के क्रय आदेश में निर्धारित सप्लाई अवधि में ही देना होगा।

(iii) अस्वीकृत किया गया माल बोलीदाताओं द्वारा अस्वीकृति की सूचना के 15 दिन के अन्दर विभागीय परिसर से वापिस ले जाना होगा। 15 योम के पश्चात् विभागीय परिसर से माल नही ले जाने पर विभाग द्वारा निर्धारित भण्डारण व्यय बोलीदाता से वसूली जावेगी। माल अस्वीकृत होने की सूचना के 30 योम पश्चात बोलीदाताओ द्वारा विभागीय परिसर से माल नही ले जाने पर विभाग को उसका निस्तारण करने हेतु पूर्ण अधिकार होगा। अस्वीकृत माल के संबंध में यथोचित सुरक्षा रखी जावेगी, लेकिन विभागीय परिसर में ऐसे अस्वीकृत माल की क्षति, कमी, घाटा, नाश, टूट, फूट, हानि होने पर विभाग किसी भी प्रकार से जिम्मेदार नही होगा।

(iv) बोलीदाता द्वारा परिशिष्ट "ब" में अंकित स्पेसिफिकेशन के अनुसार ही बोली प्रस्तुत की जावेगी, जिसमें 05 प्रतिशत तक टॉलरेन्स स्वीकार्य है। अन्य स्पेसिफिकेशन के आधार पर प्रस्तुत बोली निरस्त कर दी जावेगी।

12. <u>निरीक्षण एवं परीक्षण</u> :–

(i) (A) "महानिदेशक एवं महानिरीक्षक कारागार, राजस्थान जयपुर" या उसका विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि सभी युक्तियुक्त उचित समयों पर सप्लायर के परिसर में जा सकेगा तथा वह संबंधित वस्तु के विनिर्माण के समय या उसके पश्चात जैसा भी निश्चित किया जाऐगा, माल/आइटम सामग्री का निरीक्षण एवं जांच कर सकेगा ।

(B) वित्त विभाग राजस्थान सरकार के गजट नोटिफिकेशन दिनांक 19.11.15 के नियम 12 की पालना मे विभागीय कमेटी द्वारा राजस्थान राज्य की सूक्ष्म एवं लघु उद्यम इकाई की उत्पादन क्षमता के बारे में और किस्म नियंत्रण के उपाय स्थापित हैं, के समाधान हेतु उत्पादन इकाई का निरीक्षण किया जा सकेगा।

(ii) बोलीदाता अपने कार्यालय के परिसर, गोदाम, वर्कशाप का पूर्ण पता देगा जहां सप्लाई होने वाले माल का निरीक्षण किया जा सके तथा उन व्यक्तियो के नाम व पते देगा जिनसे इस संबंध में सम्पर्क किया जावे।

(iii) सप्लाई प्राप्ति के समय यह सुनिश्चित करने के लिए निरीक्षण व जांच की जावेगी कि वे निर्धारित स्पेसिफिकेशन के अनुरूप है या नही। जहाँ आवश्यक हो, प्रावधित किया गया हो या व्यवहारिक हो, वहाँ परीक्षण सरकारी प्रयोगशालाओ/प्रतिष्ठित परीक्षण गृहो में करवाया जावेगा तथा परीक्षण पर यदि सामान विहित स्पेसिफिकेशन के स्तर के अनुरूप पाया जाऐगा तो उन्हे स्वीकार किया जाएगा।

(iv) परीक्षण प्रभार:– बोलीदाता से सामान प्राप्त होने पर विभाग द्वारा जिस सामान का परीक्षण कराया जायेगा उसके परीक्षण प्रभार सरकार द्वारा वहन किये जावेंगे । यदि परीक्षण परिणामों से यह ज्ञात हो कि सप्लाई किया गया समान विहित स्तर या स्पेसिफिकेशन के अनुसार नही है तो, परीक्षण प्रभार बोलीदाता द्वारा वहन किये जावेंगे।

(v) निरीक्षण प्रभार:– विभाग द्वारा जिन वस्तुओं की प्रदायगी सरकारी प्रयोगशाला/प्रतिष्ठित निरीक्षण गृहो से निरीक्षण (Inspection) उपरान्त ही प्राप्त की जावेगी,, उन वस्तुओं का निरीक्षण बोलीदाता द्वारा कराये जाने पर निरीक्षण की एवज में देय निरीक्षण प्रभार की राशि का भुगतान विभाग द्वारा किया जावेगा इस हेतु बोलीदाता को सरकारी प्रयोगशाला/अनुमोदित निरीक्षण गृहो में जमा कराई गई राशि की रसीद प्रस्तुत करनी होगी

(vi) रद्द करना (Rejection):– निरीक्षण या परीक्षण के दौरान जो वस्तुऐ अनुमोदित नहीं की जाऐगी उन्हे रद्द किया जावेगा तथा बोलीदाता द्वारा क्रय आदेश में <u>निर्धारित सप्लाई अवधि</u> में ही स्वयं की लागत पर उन्हे बदला जावेगा ।

(vii) यदि रद्द किये गये सामान को जनहित/सरकारी कार्य की तात्कालिक आवश्यकता के कारण पूर्ण या आंशिक रूप से बदलना साध्य (Feasible) नही समझा जावे तो विभागीय क्रय समिति बोलीदाता को सुनवाई का एक उचित अवसर देकर तथा कारणों को

अभिलिखित करके, अनुमोदित दरों में से उपयुक्त राशि की कटोती कर सकेंगें। इस प्रकार की गई कटौती अंतिम होगी ।

(viii) आपूर्ति किया गया माल/आईटम निर्धारित स्पेसिफिकेशन अथवा वांछित गुणवत्ता का नहीं पाये जाने पर बोलीदाता के विरूद्ध विभाग आपराधिक एवं दीवानी कार्यवाही करने के लिए सक्षम होगा।

13. **सैम्पल :-**

(i) मशीनों के सैम्पल्स, विभागीय उपापन समिति चाहेगी तो किसी भी राजकीय/मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला से टेस्ट करवा सकेगी। इस संबंध में विभागीय उपापन समिति द्वारा लिया गया निर्णय अन्तिम होगा। यदि सैम्पल्स की जॉच कराई जाती है तो टेस्टिंग पर होने वाला व्यय बोलीदाता द्वारा वहन किया जावेगा। सैम्पल्स की टेस्टिंग के उपरान्त टेस्ट पर हुए व्यय की राशि बोलीदाता द्वारा जमा कराई जावेगी। यदि कोई बोलीदाता टेस्टिंग चार्जेज की राशि जमा नहीं कराता है तो बोलीदाता की जमा बोली प्रतिभूति में से टेस्टिंग चार्जेज की राशि काट ली जावेगी।

(ii) प्रत्येक सैम्पल पर बोलीदाता द्वारा सैम्पल का विवरण उपयुक्त रूप से सैम्पल पर लिखकर या सैम्पल के साथ स्लिप पर सैम्पल का विवरण लिखकर सुरक्षित ढंग से बांधकर प्रस्तुत करना होगा तथा बोलीदाता का नाम व आईटम की क्रम संख्या भी अंकित करनी होगी।

(iii) अनुमोदित सैम्पल को संविदा समाप्त होने के बाद 6 माह तक की अवधि या गारण्टी अवधि तक जो बाद में हो, निःशुल्क विभाग में रखा जावेगा। विभाग के पास रही अवधि के दौरान सैम्पल में किसी प्रकार की क्षति, टूट, फूट, परीक्षण जांच आदि के दौरान हानि के लिए सरकार उत्तरदायी नही होगी।

(iv) निर्धारित अवधि की समाप्ति पर बोलीदाता द्वारा नमूना/नमूनों को वापिस लिया जावेगा। विभाग द्वारा सैम्पल को लौटाने के संबंध में किसी भी प्रकार की व्यवस्था नही की जावेगी। संविदा समाप्ति के पश्चात यदि 6 से 9 माह की अवधि के भीतर या गारण्टी अवधि की समाप्ति के तीन माह के भीतर (जो बाद में हो) बोलीदाता द्वारा सैम्पल प्राप्त नही किये जाते है तो विभाग द्वारा इनका समपहरण (Forfeiture) कर लिया जावेगा तथा उनकी लागत आदि के लिए कोई क्लेम स्वीकार नही किया जावेगा ।

(v) असफल बोलीदाताओं द्वारा अनुमोदित नही किये गऐ सैम्पल एवं बोली प्रतिभूति, विभागीय सूचना के एक माह के भीतर प्राप्त कर लिये जावेंगे। विभाग के पास रहे इन सैम्पल में किसी प्रकार की क्षति, टूट–फूट, या परीक्षण, जांच आदि के दौरान हानि के लिए सरकार या विभाग उत्तरदायी नही होगा। जो सैम्पल निर्धारित अवधि में वापिस नही लिये जावेगे उनका समपहरण (Forfeiture) किया जावेगा तथा उसकी लागत आदि के लिए कोई दावा स्वीकार नही किया जावेगा।

14. **माल की सप्लाई :-**

(i) बोलीदाता सप्लाई के समय माल की उचित पैकिंग करने के लिए उत्तरदायी होगा ताकि समुद्र, रेल, सडक या वायुयान द्वारा परिवहन की सामान्य स्थिति मे उनमे कोई क्षति न हो तथा गन्तव्य स्थल पर माल की सुपुर्दगी अच्छी दशा में प्राप्त हो सके। माल प्राप्तकर्ता द्वारा प्राप्त सामग्रियों की जांच, निरीक्षण किये जाने पर माल में पाई गई किसी प्रकार की हानि, क्षति, टूटफूट या रिसाव (Leakage) या किसी कमी के होने के मामले मे हुई हानि एंव कमी की पूर्ति के लिए बोलीदाता उत्तरदायी होगा। इसके लिए कोई अतिरिक्त लागत स्वीकार नही की जाएगी।

(ii) यदि बोलीदाता द्वारा माल की सप्लाई निर्धारित मानदण्ड एवं स्पेसीफिकेशन के अनुसार नही की जाती है, तो बोलीदाता को सुनवाई का एक युक्तियुक्त अवसर देने के बाद सक्षम प्राधिकारी द्वारा किसी भी समय संविदा को निराकृत करने के कारणों को अभिलिखित करते हुए संविदा को निराकृत (Repudiate) कर सकते है।

(iii) बोलीदाता द्वारा समस्त माल रेल्वे या गुडस ट्रान्सपोर्ट के जरिये भाडा एवं अन्य प्रभार आदि चुका कर FOR जयपुर मुख्यालय भेजा जाऐगा ।

15. बोलीदाता या उसके प्रतिनिधि की और से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपना पक्ष समर्थन कराना एक प्रकार की अनर्हता (Disqualification) होगी।

16. **सुपुर्दगी अवधि (Delivery Period)**

(i) जिस बोलीदाता की बोली स्वीकार की जाऐगी वह 15 दिवस सप्लाई अवधि में माल की सप्लाई करेगा। सप्लाई अवधि, विभाग द्वारा जारी सप्लाई आदेश की दिनांक से शुरू होगी ।

(ii) फर्म निर्धारित समयावधि में निर्धारित मात्रा के अनुसार आपूर्ति करने में असफल रहती है तो प्रकरण उपापन समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जावेगा । यदि फर्म निर्धारित समयावधि में आंशिक सामान सप्लाई नहीं करती है तथा अवधि पूर्ण होने से पूर्व ही सप्लाई अवधि बढवाना चाहती है तो उसे उन बाधाओं का उल्लेख करते हुए, जिनके कारण सप्लाई अवधि बढवाई जा रही है, लिखित में आवेदन करना होगा। गुणावगुण के आधार पर घटित बाधाओं से संतुष्ट होने पर उपापन संस्था द्वारा सप्लाई अवधि बढाने या नहीं बढाने का निर्णय लिया जावेगा।

17. **माल (Goods) एवं सेवाओं (Services) के परिमाण (मात्रा) वृद्धि एवं पुनरादेश (Repeat Order)**

(i) यदि उपापन संस्था परिस्थितियों में परिवर्तन के कारण कोई माल/सेवा का उपापन नहीं करती है या विनिर्दिष्ट मात्रा से कम अप्राप्त करती है तो बोली लगाने वाला किसी भी दावें या प्रतिकर का हकदार नहीं होगा।

(ii) अतिरिक्त मदों (Items) या अतिरिक्त मात्रा के लिए पुनरादेश (Repeat Orders), संविदा में दी गई दरों और शर्तों पर दिये जा सकेंगे। प्रदायगी या कार्य पूर्ण करने की अवधि भी आनुपातिक रूप से बढाई जा सकेगी। पुनरादेश किसी भी स्थिति में मूल संविदा के माल के मूल्य का 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।

18. **संविदा के अधिनिर्णय (Award of Contract) के समय एक से अधिक बोलीदाताओं के मध्य विनिर्दिष्ट मात्रा का विभाजन** :–सामान्यतः उपापन की विषयवस्तु (मात्रा/सेवा) की समस्त मात्रा उस बोलीदाता से उपाप्त (क्रय) की जावेगी जिसकी निविदा (बोली) स्वीकार की गई है। तथापि जब यह समझा जावे कि उपाप्त की जाने वाली उपापन की विषयवस्तु की मात्रा बहुत अधिक है और इस सम्पूर्ण मात्रा प्रदाय करना उस बोली लगाने वाले की क्षमता में नहीं हो सकेगा जिसकी बोली स्वीकार की गई है या जब यह समझा जावे कि उपापन की विषयवस्तु गंभीर और महत्वपूर्ण प्रकृति की है तो ऐसे मामलों में वस्तु की मात्रा को, प्रथम न्यूनतम बोलीदाता जिसकी बोली स्वीकार की गई और द्वितीय निम्नतम बोलीदाता या इसी क्रम में और भी बोली लगाने वालों के मध्य अनुमोदित बोलीदाता की दरों पर ऋजु (Fair) पारदर्शी और साम्यापूर्ण रीति से विभाजित किया जा सकेगा।

19. **बोली प्रतिभूति (Bid Security) राशि :–**

(i) राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 के नियम 42 के अनुसार बोली प्रतिभूति राशि विषय वस्तु के प्राक्कलित मूल्य का 2 प्रतिशत होगी। वित्त विभाग राजस्थान द्वारा जारी नोटिफिकेशन दिनांक 19.11.2015 के बिन्दु संख्या 8 के अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी उद्यमी ज्ञापन–II/उद्योग आधार ज्ञापन की अभिस्वीकृति रखने वाले तथा स्वयं द्वारा अनुप्रमाणित प्रतिलिपि प्रस्तुत करने पर राज्य के सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के लिए बोली प्रतिभूति राशि 0.50 प्रतिशत देय होगी।

(ii) बोली प्रतिभूति राशि "महानिदेशक एवं महानिरीक्षक कारागार राजस्थान, जयपुर" के नाम से निम्न रूप में दी जायेगी:–

(अ) नकद रसीद द्वारा या

(ब) नकद– शीर्ष "8443" सिविल निक्षेप– 103– प्रतिभूति निक्षेप" के अन्तर्गत ई–ग्रास चालान से जमा कराई जा सकती है। या

(स) शिडयूल्ड बैंक का बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक के द्वारा जमा कराई जावेगी ।

(iii) **बोली प्रतिभूति राशि का प्रतिदाय** (Refund of Bid security):– असफल बोलीदाता/बोलीदाताओं की बोली प्रतिभूति राशि, बोली पर अंतिम रूप से निर्णय लेने के बाद, यथाशीघ्र लौटाई जाऐगी ।

(iv) अनुमोदन की प्रतीक्षा करने वाली या संविदाओं के पूर्ण हो जाने के कारण विभाग के पास जमा बोली प्रतिभूति राशि को नई बोलियों के लिए बोली प्रतिभूति राशि के विरूद्व समायोजित नहीं किया जाऐगा। तथापि मूल रूप से जमा कराई गई बोली प्रतिभूति बोली के पुनः

आमंत्रित किये जाने की दशा में विचार में ली जा सकती है। बोली प्रतिभूति राशि पर विभाग द्वारा ब्याज देय नहीं होगा।

(v) सफल बोलीदाता के करार निष्पादन पर और कार्य सम्पादन प्रतिभूति देने पर या उपापन प्रक्रिया के निरस्तीकरण पर शीघ्र ही बोली प्रतिभूति लौटा दी जावेगी।

(vi) **बोली प्रतिभूति का समपहरण (Forfeiture of Bid Security)**:– बोली प्रतिभूति का निम्नलिखित मामलों में समपहरण (Forfeiture) कर लिया जाऐगा :–

(क) जब बोलीदाता बोली खुलने के बाद किन्तु बोली को स्वीकार करने के पूर्व अपने प्रस्ताव को वापस लेता है या उसमें रूपान्तरण (Modification) करता है।

(ख) जब बोलीदाता विनिर्दिष्ट समय के भीतर करार निष्पादित नहीं करता है।

(ग) जब बोलीदाता बोली स्वीकृति की सूचना के पश्चात कार्य निष्पादन प्रतिभूति जमा नहीं कराता है।

(घ) जब सफल बोलीदाता निर्धारित सप्लाई अवधि में सप्लाई प्रारम्भ नहीं करता।

(ड.) यदि बोली लगाने वाला आर.टी.पी.पी. अधिनियम 2012 एवं इनके आर.टी.पी.पी. नियम 2013 के नियमों के अध्याय–6 में विनिर्दिष्ट बोली लगाने वालों के लिए विहित सत्यनिष्ठा की संहिता के किसी उपबंध को भंग करता है।

20. **करार एवं कार्य निष्पादन प्रतिभूति (Agreement and Performance Security) :–**

(अ) बोली आमंत्रण में अंकित आईटम की आपूर्ति हेतु सफल बोलीदाता को बोली स्वीकृति आदेश पत्र की दिनांक से अधिकतम 7 दिन में माल के प्रदाय के लिए बोली में अंकित कुल अनुमानित राशि की रकम की पॉच प्रतिशत राशि कार्य निष्पादन प्रतिभूति के रूप में जमा करानी होगी एवं उक्त रकम के 0.25 प्रतिशत मय सरचार्ज अधिकतम रूपये 15,000 तक के बराबर राशि के नॉन–ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर सामान्य एवं वित्तीय लेखा नियम में निर्धारित एस.आर. प्रारुप 17 में एक करार पत्र निष्पादित करना होगा। करार पत्र निर्धारित प्रारूप में नियत अवधि में निष्पादन नहीं करने पर बोली निरस्त योग्य है।

(ब) सफल बोली लगाने वाले की दशा में, बोली प्रतिभूति की रकम कार्य निष्पादन प्रतिभूति की रकम में समायोजित की जा सकती है या लौटायी जा सकती है यदि सफल बोली लगाने वाला पूर्ण रकम की कार्य निष्पादन प्रतिभूति राशि दे देता है।

(i) कार्य निष्पादन प्रतिभूति राशि पर विभाग द्वारा ब्याज का भुगतान नहीं किया जाऐगा।

(ii) कार्य निष्पादन प्रतिभूति राशि "महानिदेशक एवं महानिरीक्षक कारागार, राजस्थान जयपुर" के नाम से निम्न में से किसी रूप में प्रस्तुत की जा सकेगी:–

(क) " ई.जी.आर.ए.एस. के माध्यम से जमा "

(ख) किसी अनुसूचित बैंक का बैंक ड्राफ्ट या बैंकर चैक,

(ग) राष्ट्रीय बचत पत्र और राजस्थान में किसी डाकघर द्वारा अल्प बचत के प्रोन्नयन के लिए राष्ट्रीय बचत स्कीमों के अधीन जारी कोई अन्य स्क्रिप्ट/लिखित, यदि वह सुसंगत नियमों के अधीन बंधक रखी जा सकती हो। बोली के समय वे उनके समर्पण मूल्य पर स्वीकार की जायेंगी और मुख्य डाकपाल के अनुमोदन से औपचारिक रूप से उपापन संस्था के नाम अंतरित की जायेंगी।

(घ) किसी अनुसूचित बैंक की बैंक गारंटी/गारंटियॉं। यह जारी करने वाले बैंक से सत्यापित करायी जायेगी।

(ड.) किसी अनुसूचित बैंक की नियत जमा रसीद (एफडीआर)। यह बोली लगाने वाले के खाते से उपापन संस्था के नाम होगी और बोली लगाने वाले द्वारा अग्रिम रूप से उन्मोचित (discharged) की जायेगी। उपापन संस्था नियत जमा रसीद को स्वीकार करने के पूर्व यह सुनिश्चित करेगी कि बोली लगाने वाला बैंक की ओर से उपापन संस्था को संबंधित बोली लगाने वाले की सहमति की अपेक्षा के बिना, नियत जमा रसीद की मांग पर संदाय/समयपूर्व संदाय करने

का वचन देता है। कार्य सम्पादन प्रतिभूति के समपहरण की दशा में नियत जमा एवं ऐसी नियत जमा पर अर्जित ब्याज के साथ समपहत कर ली जायेगी।

(च) खण्ड ख से ड. के प्रारूप में विनिर्दिष्ट कार्य सम्पादन प्रतिभूति वारन्टी बाध्यताओं और रखरखाव और दोष दायित्व कालावधि को सम्मिलित करते हुए बोली लगाने वाले की समस्त संविदांत बाध्यताओं के पूरा होने की तारीख से परे साठ दिनों की कालावधि के लिए विधि मान्य रहेगी।

नोटः– अनुबंध पत्र के साथ एन.एस.सी./पासबुक/डिफेंस बचत पत्र/किसान विकास पत्र आदि Pledge की हुई प्रस्तुत करना आवश्यक है।

(iii) संविदा के सन्तोषजनक रूप से पूर्ण कर दिये जाने के बाद या गारन्टी अवधि (यदि कोई हो तो) की समाप्ति के बाद, जो भी बाद में हो, तथा इससे सन्तुष्ट हो जाने पर कि बोलीदाता के विरूद्व कोई देय बकाया (Outstanding dues) नहीं है, निम्न अवधि में कार्य सम्पादन प्रतिभूति का प्रतिदाय (Refund) किया जाऐगा।

(क) एक समय पर खरीद के मामले में क्रय आदेश के अनुसार आईटम की अंतिम सप्लाई या गारण्टी की अवधि समाप्ति, जो बाद में हो, से एक माह के भीतर ।

(ख) यदि माल की सप्लाई को सान्तर (Staggered) किया जाता है तो अंतिम सप्लाई या गारण्टी अवधि की समाप्ति, जो बाद में हो, के दो माह के भीतर ।

(iv) <u>कार्य निष्पादन प्रतिभूति राशि का समपहरण</u> (Forfeiture of Work Performance Security Deposit):– सुरक्षा राशि का पूर्ण या आंशिक रूप से निम्नांकित मामलों मे समपहरण (Forfeiture) किया जाऐगाः–

(क) जब संविदा की शर्तो का उल्लघंन किया गया हो।

(ख) जब बोलीदाता सम्पूर्ण सप्लाई सन्तोषजनक ढंग से करने में असफल रहा हो

(ग) जब बोलीदाता सप्लाई आदेश के अनुसार निर्धारित सप्लाई अवधि में माल की सप्लाई आरम्भ करने में असफल रहता हो। कार्य निष्पादन राशि के समपहरण करने के मामलों में युक्तियुक्त समय पूर्व नोटिस दिया जाऐगा। इस संबंध में उपापन संस्था का निर्णय अंतिम होगा।

(v) करार पत्र को पूर्ण करने एवं उस पर स्टाम्प लगाने तथा सुरक्षा राशि को गिरवी करने में हुआ व्यय बोलीदाता द्वारा वहन किया जाऐगा तथा विभाग को करार की एक निष्पादित स्टाम्प शुदा प्रतिपडत (Counter foil) निःशुल्क प्रस्तुत की जाऐगी।

(vi) बोलीदाता द्वारा करार के निष्पादन के समय निम्न दस्तावेज प्रस्तुत किये जाऐगेः–

(अ) यदि भागीदारी फर्म हो तो भागीदारी विलेख (Partnrership Deed) की एक अभिप्रमाणित प्रति।

(ब) यदि भागीदारी फर्म रजिस्ट्रार ऑफ फर्मस के पास पंजीकृत हो तो पंजीयन संख्या एवं उसका वर्ष।

(स) एक मात्र स्वामित्व के मामले में आवास तथा कार्यालय का पता,टेलिफोन नम्बर।

(द) कम्पनी के मामले में कम्पनी के रजिस्ट्रार द्वारा जारी किया गया प्रमाण–पत्र

(vii) साझेदारी फर्म/कम्पनी की स्थिति में बोली एवं अनुबन्ध पत्र पर हस्ताक्षर करने हेतु अधिकृत प्रतिनिधि को अधिकृत करने सम्बन्धी अधिकार पत्र फर्म/कम्पनी द्वारा संलग्न किया जाये।

21. <u>बोली लगाने से विवर्जनः–</u>

(i) बोली लगाने वाला राज्य सरकार द्वारा विवर्जित किया जायेगा, यदि वह –

(क) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के अधीन या

(ख) भारतीय दण्ड संहिता 1860 या तत्समय प्रवृत्त किसी भी अन्य विधि के अधीन, लोक उपापन संविदा के निष्पादन के भाग के रूप में जीवन या सम्पत्ति की हानि कारित करने या लोक स्वास्थ्य की आशंका कारित करने के किसी अपराध के लिए दोष किया गया है।

उपर्युक्त के अधीन विवर्जित बोली लगाने वाला उस तारीख जिसको वह विवर्जित किया गया था, से प्रारंभ होने वाली तीन वर्ष से अनधिक की अवधि के लिए किसी उपापन संस्था की उपापन प्रक्रिया में भाग लेने के योग्य नही होगा।

(ii) किसी बोली लगाने वाले ने आरटीपीपी एक्ट 2012 की धारा 11 के निबंधनों में विहित सत्यनिष्ठा संहिता का भंग किया गया है तो उपापन संस्था बोली लगाने वाले को तीन वर्ष से अनधिक अवधि के लिए विवर्जित कर सकेगी।

(iii) जहाँ किसी बोली लगाने वाले की सम्पूर्ण बोली प्रतिभूति या संपूर्ण कार्य सम्पादन प्रतिभूति या, यथास्थिति, उसका कोई भी प्रतिस्थापन उपापन संस्था द्वारा किसी भी उपापन प्रक्रिया या उपापन संविदा में समपहृत कर लिया गया है तो बोली लगाने वाले को उपापन संस्था द्वारा हाथ में ली जाने वाली किसी भी उपापन प्रक्रिया में भाग लेने से तीन वर्ष से अनधिक की कालावधि के लिए विवर्जित किया जा सकेगा।

(iv) राज्य सरकार या, यथा स्थिति, उपापन संस्था उपर्युक्त शर्त के अधीन किसी बोली लगाने वाले को तब तक विवर्जित नही करेगी जब तक की ऐसी बोली लगाने वाले को सुनने का युक्तियुक्त अवसर नही दे दिया गया हो।

22. **बीमा:–**

बोलीदाता द्वारा सामान गंतव्य स्थान पर सही दशा में सुपुर्द किंये जाऐगे। यदि सप्लायर चाहे तो मूल्यवान सामान को चोरी, नाश या क्षय द्वारा या आग, बाढ, मौसम में पड़ा रहने के कारण या अन्यथा (युद्व, दंगे, विद्रोह आदि द्वारा) हानि से बचाने के लिए बीमा करा सकेगा। यह बीमा प्रभार बोलीदाता द्वारा वहन किया जाऐगा तथा विभाग/राज्य सरकार से इन प्रभारों के भुगतान की अपेक्षा नहीं की जाऐगी ।

23. **भुगतान:–**

(i) सप्लायर द्वारा सप्लाई किये गऐ माल के संबंध में, सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम के अनुसार उचित प्रारुप में बिल तीन प्रतियो में प्रस्तुत करने पर बजट उपलब्धता के आधार पर नियमानुसार भुगतान किया जाऐगा।

(ii) माल के भुगतान करने पर किये गऐ प्रेषण प्रभार (Remittance Charges) बोलीदाता द्वारा वहन किए जावेगे।

(iii) विवादस्पद आईटम के संबंध में 10% से 25% तक राशि रोकी जाऐगी तथा विवाद का निपटारा हो जाने पर ही उसका भुगतान किया जा सकेगा ।

(iv) उन मामलों में जिनमें परीक्षण की जरूरत है, भुगतान तभी किया जाऐगा जब विहित परीक्षण कर लिये जाऐगे तथा परीक्षण से प्राप्त परिणाम विहित स्पेशिफिकेशन के अनुरुप होगे ।

(v) संविदा पत्र में सुपुर्दगी के लिए विनिर्दिष्ट अवधि को संविदा के सार के रूप में समझा जाऐगा तथा सफल बोलीदाता, विभाग से प्रदायगी आदेश जारी होने पर, निर्धारित अवधि के भीतर सप्लाई पूर्ण करेगा ।

(vi) **परिनिर्धारित क्षति** (Liquidated Damages):–

परिनिर्धारित क्षति के साथ सुपुर्दगी अवधि में वृद्वि करने के मामले में वसूली निम्नलिखित प्रतिशत के आधार पर उन स्टोर के मूल्यों के लिए की जाऐगी जिनकी बोलीदाता सप्लाई करने में असफल रहा है:–

(क) विहित सुपुर्दगी अवधि की एक चौथाई अवधि तक के विलम्ब के लिए –2.5%

(ख) विहित सुपुर्दगी अवधि की एक चौथाई अवधि से अधिक – 5%
किन्तु विहित अवधि की आधी अवधी से अनधिक के लिए

(ग) विहित सुपुर्दगी अवधि की आधी अवधि से अधिक किन्तु – 7.5%
विहित अवधि के तीन चौथाई से अनधिक अवधि के लिए

(घ) विहित सुपुर्दगी अवधि की तीन चौथाई से अधिक के विलम्ब के लिए–10%

(ड.) विलम्ब की अवधि में आधे दिन से कम के भाग को छोड दिया जायेगा ।

(च) परिनिर्धारित क्षति की अधिकतम राशि 10% होगी ।

(छ) यदि प्रदायकर्ता (सप्लायर) किन्हीं बाधाओं के कारण संविदान्तर्गत माल की सप्लाई को पूरा करने के लिए समय में वृद्धि चाहता है, तो वह लिखित में उस

प्राधिकारी को आवेदन करेगा जिसने प्रदायगी आदेश दिया है। किन्तु वह, उसके लिए आवेदन, बाधा के घटित होने पर तुरन्त उसी समय करेगा न कि सप्लाई पूर्ण होने की निर्धारित तारीख के बाद करेगा ।

(ज) यदि माल की सप्लाई करने में उत्पन्न हुई बाधा बोलीदाता के नियन्त्रण से परे कारणो से हुई हो, तो सुपुर्दगी की अवधि में वृद्धि परिनिर्धारित क्षति सहित या रहित की जा सकेगी।

नोट : प्रदायगी अवधि के अन्तिम तिथि को राजपत्रित अवकाश होने पर आगामी कार्य दिवस को मध्यान्ह पूर्व तक प्रदायगी करने पर परिनिर्धारित क्षति की वसूली नही की जावेगी।

24. **वसूलियॉ:**–परिनिर्धारित क्षति, कम सप्लाई, टूट फूट रदद की गयी वस्तुओ के लिए वसूली साधारण रूप से बिल में से की जाएगी। कम सप्लाई, टूट फूट, रदद किए गए मालों की सीमा तक राशि को भी रोका जा सकेगा तथा यदि सप्लायर सन्तोषजनक ढंग से उनको नही बदलता है तो परिनिर्धारित क्षति (Liquidated Damages) के साथ वसूली उसकी देय राशि (Dues) एवं विभाग के पास उपलब्ध सुरक्षा राशि से की जायेगी। यदि वसूली करना सम्भव न हो तो राजस्थान पी.डी.आर. एक्ट या प्रवृत किसी अन्य कानून के अन्तर्गत कार्यवाही की जाऐगी।

25. बोलीदाताओ को यदि आवश्यक हो तो, आयात लाईसेन्स प्राप्त करने के लिए अपनी स्वंय की व्यवस्था करनी होगी।

26. बोली शर्तो के अतिरिक्त कोई शर्त स्वीकार नही की जावेगी। यदि बोलीदाता ऐसी शर्ते आरोपित करता है, जो बोली शर्तो के अतिरिक्त है या उनके विरोध में है, तो उसकी बोली को संक्षिप्त रूप में कार्यवाही कर रदद कर दिया जाऐगा । किसी भी स्थिति में बोलीदाता द्वारा दी गई शर्तो को स्वीकार किया हुआ नही समझा जाऐगा जब तक कि विभाग द्वारा जारी किये गये बोली स्वीकृति पत्र में विशेष रूप से उसको उल्लेखित नहीं कर दिया गया हो।

27. विभाग के पास किसी भी बोली को स्वीकार करने, बिना कारण बताये रद्द करने या बोली आमंत्रण में अंकित किसी भी आईटम को एक से अधिक सप्लायर को वितरित करने का अधिकार आरक्षित रहेगा।

28. समस्त विधिक कार्यवाही, यदि संस्थित किया जाना आवश्यक हो तो, किसी भी पक्षकार (सरकार या बोलीदाता) द्वारा जयपुर में स्थित न्यायालयों में ही पेश की जाऐगी, अन्यत्र पेश नहीं की जाऐगी।

29. बोली प्रस्तुत करने के बाद बोली के सम्बन्ध में बोलीदाता/उसके द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि जिसके हस्ताक्षर प्रमाणित किये हुये है, द्वारा किये गये पत्र व्यवहार ही स्वीकार्य होंगे।

30. मूल बोली प्रपत्रों के अतिरिक्त जिन दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतिया चाही जा रही है वह स्वयं बोलीदाता या उसके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा प्रमाणित की जानी आवश्यक है अन्यथा उक्त प्रतिलिपि/प्रतिलिपियां मान्य नही होगी।

31. बोली के साथ सभी वांछित दस्तावेज/प्रमाण पत्र बोली जमा कराने की अंतिम तिथि तक वैद्य होने चाहिए।

32. फर्म द्वारा मजबूत एवं पुष्ट आधार प्रस्तुत करने पर ही विभागीय क्रय समिति किसी प्रकरण विशेष में गुणावगुण के आधार पर यदि उचित समझती है या किसी प्रक्रियात्मक त्रुटि के कारण प्रतिस्पर्धा बाधित होती है तो पुनः वांछनीय दस्तावेज एवं वांछित स्पष्टीकरण प्राप्त करने का निर्णय ले सकती है।

33. सामान की आपूर्ति महानिदेशालय कारागार राजस्थान, घाटगेट, जयपुर के भण्डार में देनी होगी।

(विकास कुमार)
महानिरीक्षक कारागार–I
राजस्थान जयपुर

हस्ताक्षर बोलीदाता मय मोहर

परिशिष्ट ''द''

महानिदेशालय कारागार राजस्थान, जयपुर

बोलीदांताओं द्वारा घोषणा

मैं/हम घोषणा करता हूँ/करते हैं कि मैने/हमने जिन मालों/सामानों/जिन आईटम के लिए बोली दी है, उनका/उनके/मैं/हम बोनाफाईड विनिर्माता/निर्माता (सूक्ष्म/लघु)/थोक विक्रेता/सोल वितरक/अधिकृत डीलर/डीलर/सोल विक्रय/विपणन एजेन्ट/सद्भावी सप्लायर हूँ/हैं। मेरे द्वारा विभागीय परिशिष्ट 'अ, ब, स एवं द तथा बोली आमंत्रण सूचना, विस्तृत आमंत्रण सूचना एवं मुख्य शर्तो को पूर्ण रूप से पढकर समझ लिया है। मेरे द्वारा उन शर्तो की पूर्ण पालना की गई है/करूंगा/करेंगे और मैं/हम उन्हें अक्षरशः स्वीकार करते है।

मैं/हम कारागार विभाग, एवं अन्य किसी भी राजकीय विभाग से ब्लैक लिस्टेड़ नही है। यदि ऐसा पाया जावें तो उसके लिए संबंधित नियमों/कानून के तहत कार्यवाही के लिए सहमत है। यदि यह घोषणा असत्य पाई जावे तो किसी भी अन्य कार्यवाही, जो की जा सकती है, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, मेरी/हमारी प्रतिभूति को पूर्ण रूप में समपह्वत किया जा सकेगा तथा बोली को जिस सीमा तक स्वीकार किया गया है, रद्द कर दिया जावे ।

बोलीदाता के हस्ताक्षर
मय मोहर

Annexure A: Compliance with the Code of Integrity and No Confict of Interest

Any person participating in a procurement process shall –

(a) Not offer any bribe, reward or gift or any material benefit either directly or indirectly in exchange for an unfair advantage in procurement process or to otherwise influence the procurement process;

(b) Not misrepresent or omit that misleads or attempts to mislead so as to obtain a financial or other benefit or avoid an obligation;

(c) Not indulge in any collusion, Bid rigging or anti-competitive behavior to impair the transparency, fairness and progress of the procurement process;

(d) Not misuse any information shared between the procuring Entity and the Bidders with an intent to gain unfair advantage in the procurement process;

(e) Not indulge in any coercion including impairing or harming or threatening to do the same, directly or indirectly, to any party or to its property to influence the procurement process;

(f) not obstruct any investigation or audit of a procurement process;

(g) disclose conflict of interest, if any and

(h) disclose any previous transgressions with any Entity in India or any other country during the last three years or any debarment by any other procuring entity.

Conflict of Interest:-

The Bidder participating in a bidding process must not have a Conflict of interest.

A conflict of Interest is considered to be a situation in which a party has interests that could improperly influence that party's performance of official duties or responsibilities, contractual obligations, or compliance with applicable laws and regulations.

(i) A Bidder may be considered to be in Conflict of Interest with one or more parties in a bidding process if, including but not limited to :

a. Have controlling partners/ shareholders in common; or

b. Receive or have received any direct or indirect subsidy from any of them; or

c. Have the same legal representative for purposes of the Bid ;or

d. Have a relationship with each other, directly or through common third parties, that puts them in a position to have access to information about or influence on the Bid of another Bidder, or influence the decisions of the Procuring Entity regarding the bidding process; or

e. The Bidder participates in more than one Bid in a bidding process. Participation by a Bidder in more than one Bid will result in the disqualification of all Bids in which the Bidder is involved. However, this does not limit the inclusion of the same subcontractor, not otherwise participating as a Bidder, in more than one Bid; or

f. The Bidder or any or its affiliates participated as a consultant in the preparation of the design or technical specifications of the Goods, Works or Services that are the subject of the Bid; or

g. Bidder or any of its affiliates has been hired (or is proposed to be hired) by the Procuring Entity as engineer-in-charge/ consultant for the contract.

Signature of bidder

अनुलग्नक 'ब'

Annexure B : Declaration by the Bidder regarding Qualifications

Declaration by the Bidder

In relation to my/our Bid submitted to .... for procurement of .... in response to their Notice Inviting Bids No............ Dated .... I/we hereby declare under Section 7 of Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012, that :

1. I/we possess the necessary professional, technical, financial and managerial resources and competence required by the Bidding Document issued by the Procuring Entity;
2. I/we have fulfilled my/our obligation to pay such of the taxes payable to the Union and the State Government or any local authority as specified in the Bidding Document;
3. I/we are not insolvent, in receivership, bankrupt or being wound up, not have my/our affairs administered by a court or a judicial officer, not have my/our business activities suspended and not the subject of legal proceedings for any of the foregoing reasons;
4. I/we do not have, and our directors and officers not have, been convicted of any criminal offence related to my/our professional conduct or the making of false statement or misrepresentations as to my/our qualifications to enter into a procurement contract within a period of three years preceding the commencement of this procurement process, or not have been otherwise disqualified pursuant to debarment proceedings ;
5. I/we do not have a conflict of interest as specified in the Act, Rules and the Bidding Document, which materially affects fair competition;

Date :

Place :

Signature of bidder

Name :

Designation :

Address :

Annexure C : Grievance Redressal during Procurement Process

The designation and address of the First Appellate Authority is DG & IG Prisons, Rajasthan, Jaipur

The designation and address of the Second Appellate Authority is Principle Secretary, Home Department, Secretariate Rajasthan, Jaipur

(1) Filling an appeal

If any Bidder or prospective bidder is aggrieved that any decision, action or omission of the Procuring Entity is in contravention to the provisions of the Act or the Rules or the Guidelines issued thereunder, he may file an appeal to First Appellate Authority, as specified in the Bidding Document within a period of ten days from the date of such decision or action, omission, as the case may be, clearly giving the specific ground or grounds on which he feels aggrieved :

Provided that after the declaration of a Bidder as successful the appeal may be filed only by a Bidder who has participated in procurement proceedings.

Provided further that in case a Procuring Entity evaluates the Technical Bids before the opening of the Financial Bids, an appeal related to the matter of Financial Bids may be filed only by a Bidder whose Technical Bid is found to be acceptable.

(2) The officer to whom an appeal is filed under para (1) shall deal with the appeal as expeditiously as possible and shall endeavour to dispose it of within thirty days from the date of the appeal.

(3) If the officer designated under para (1) fails to dispose of the appeal filed within the period specified in para (2), or if the Bidder or prospective bidder or the Procuring Entity is aggrieved by the order passed by the First Appellate Authority, the Bidder or prospective bidder or the Procuring Entity, as the case may be, may file a second appeal to

Second Appellate Authority specified in the Bidding Document in this behalf within fifteen days from the expiry of the period specified in para (2) or of the date of receipt of the order passed by the First Appellate Authority, as the case may be.

(4) Appeal not to lie in certain cases

No appeal shall lie against any decision of the Procuring Entity relating to the following matters, namely :-

(a) Determination of need of procurement.

(b) Provisions limiting participation of Bidders in the Bid process.

(c) The decision of whether or not to enter into negotiations.

(d) Cancellation of a procurement process.

(e) Applicability of the provisions of confidentiality.

(5) Form of Appeal

(a) An appeal under para (1) or (3) above shall be in the annexed Form along with as many copies as there are respondents in the appeal.

(b) Every appeal shall be accompanied by an order appealed against, if any, affidavit verifying the facts stated in the appeal and proof of payment of fee.

(c) Every appeal may be presented to First Appellate Authority or Second appellate Authority, as the case may be, in person or through registered post or authorised representative.

(6) Fee for filing appeal

(a) Fee for first appeal shall be rupees two thousand five hundred and for second appeal shall be rupees ten thousand, which shall be non-refundable.

(b) The fee shall be paid in the form of bank demand draft or banker's cheque of a Scheduled Bank in India payable in the name of Appellate Authority concerned.

(7) Procedure for disposal of appeal

(a) The First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, upon filing of appeal, shall issue notice accompanied by copy of appeal, affidavit and

documents, if any, to the respondents and fix date of hearing.

(b) On the date fixed for hearing, the First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, shall -

(i)hear all the parties to appeal present before him: and

(ii) peruse of inspect documents, relevant records or copies thereof relating to the matter.

(c) After hearing the parties, perusal or inspection of documents and relevant records or copies thereof relating to the matter, 'the Appellate Authority concerned shall pass an order in writing and provide the copy of order to the parties to appeal free of cost.

(d) The order passed under sub-clause (c) above shall also be placed on the State Public Procurement Portal.

Date : Signature of bidder

Place : Name :

Designation :

Address :

Form No.1

(See rule 83)

Memorandum of Appeal under the Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012

Appeal No..........of............

Before the ....(First/ Second Appellate Authority)

1. Particulars of appellant :
   (i) Name of the appellant :
   (ii)Official address, if any :
   (iii) Residential address :
2. Name and address of the respondent (s):
   (i)
   (ii)
   (iii)
3. Number and date of the order appealed against and name and designation of the officer/ authority who passed the order (enclose copy), or a statement of a decision, action or omission of the Procuring Entity in contravention to the provisions of the Act by which the appellant is aggrieved :
4. If the Appellant proposes to be represented by a representative, the name and postal address of the representative :
5. Number of affidavits and documents enclosed with the appeal :
6. Grounds of appeal :..
   ....
   .... (Supported by an affidavit)
7. Prayer
   :..
   ....
   ....
   ....

Place ....

Date ....

Appellant's Signature

Annexure D : Additional Conditions of Contract

1. Correction of arithmetical errors

Provided that a Financial Bid is substantially responsive, the procuring Entity will correct arithmetical errors during evaluation of Financial Bids on the following basis:

i. If there is a discrepancy between the unit price and the total price that is obtained by multiplying the unit price and quantity, the unit price shall prevail and the total price shall be corrected, unless in the opinion of the Procuring Entity there is an obvious misplacement of the decimal point in the unit price, in which case the total price as quoted shall govern and the unit price shall be corrected;

ii. If there is an error in a total corresponding to the addition or subtraction of subtotals, the subtotals shall prevail and the total shall be corrected; and

iii. If there is a discrepancy between words and figures, the amount in words shall prevail, unless the amount expressed in words is related to an arithmetic error, in which case the amount in figures shall prevail subject to (i) and (ii) above. If the Bidder that submitted the lowest evaluated Bid does not accept the correction of errors, its Bid shall be disqualified and its Bid Security shall be forfeited or its Bid Securing Declaration shall be executed.

2. Procuring Entity's Right to Vary Quantities

(i) At the time of award of contract, the quantity of Goods, works or services originally specified in the Bidding Document may be increased or decreased by a specified percentage, but such increase or decrease shall not exceed twenty percent, of the quantity specified in the Bidding Document. It shall be without any change in the unit prices or other terms and conditions of the Bid and the conditions of contract.

(ii) If the Procuring Entity does not procure any subject matter of procurement or procures less than the quantity specified in the Bidding Document due to change in circumstances, the Bidder shall not be entitled for any claim or compensation except otherwise provided in the Conditions of Contract.

(iii) In case of procurement of Goods or services, additional quantity may be procured by placing a repeat order on the rates and conditions of the original order. However, the additional quantity shall not be more than 50% of the value of Goods of the original contract and shall be within one month from the date of expiry of last supply. If the Supplier fails to do so, the Procuring Entity shall be free to arrange for the balance supply by limited Bidding or otherwise and the extra cost incurred shall be recovered from the Supplier.

3. Dividing quantities among more than one Bidder at the time of award (In case of procurement of Goods)

As a general rules all the quantities of the subject matter of procurement shall be procured from the Bidder, whose Bid is accepted. However, when it is considered that the quantity of the subject matter of procurement to be procured is very large and it may not be in the capacity of the Bidder, whose Bid is accepted, to deliver the entire quantity or when it is considered that the subject matter of procurement to be procured is of critical and vital nature, in such cases, the quantity may be divided between the Bidder, whose Bid is accepted and the second lowest Bidder or even more Bidders in that order, in a fair, transparent and equitable manner at the rates of the Bidder, whose Bid is accepted.

Signature of bidder

प्रारूप ''क''
माल के उपापन में कीमत अधिमानता या क्रय अधिमानता या दोनो के लिए एम.एस.एम.ई. द्वारा आवेदन

प्रेषित,
महाप्रबंधक
जिला उद्योग केन्द्र, जिला..................

1. आवेदक का नाम पद सहित :
2. स्थायी पताः
3. सम्पर्क विवरणः
   (क) टेलीफोन नं. :
   (ख) मोबाइल नं. :
   (ग) फैक्स नं.:
   (घ) ई–मेलः
4. सूक्ष्म एवं लघु उद्यम का नामः
5. कार्यालय पताः
6. कार्यास्थल का पताः
7. उद्यमी ज्ञापन–II / उद्योग आधार ज्ञापन की सं. एवं तारीखः (फोटो प्रति संलग्न करें)
8. वह उत्पादन जिनके लिए उद्यमी ज्ञापन–II / उद्योग आधार ज्ञापन प्रयोग में लिए गएः
9. उत्पाद जो वर्तमान में उद्यम द्वारा उत्पादित किए जा रहे हैः
10. उत्पाद जिनके लिए कीमत अधिमानता या क्रय अधिमानता या दोनों के लिए आवेदन किया गया हैः
11. क्षमता निर्धारण प्रमाण पत्र के अनुसार उत्पादन क्षमता (क्षमता निर्धारण प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न करें)

क्र.सं.	उत्पाद	उत्पादन क्षमता	
		मात्रा	मूल्य

12. प्रतिष्ठापित संयंत्र एवं मशीनरी की सूची

क्र.सं.	संयंत्र एवं मशीनरी का नाम	मात्रा	मूल्य

13. प्रतिष्ठापित परीक्षण उपस्करों की सूची

क्र.सं.	परीक्षण उपस्करों के नाम	मात्रा	मूल्य

14. गत वित्तीय वर्ष और चालू वित्तीय वर्ष में कीमत अधिमानता प्रमाण पत्र के अनुसार उपभुक्त फायदे

क. बोली प्रतिभूति और निष्पादन प्रतिभूति निक्षेप करने के फायदेः

गत वित्तीय वर्ष			चालू वित्तीय वर्ष	
विभाग	बोली प्रतिभूति	निष्पादन प्रतिभूति	बोली प्रतिभूति	निष्पादन प्रतिभूति

ख. प्राप्त प्रदाय आदेशों का विवरणः

गत वित्तीय वर्ष				चालू वित्तीय वर्ष		
विभाग	क्रय आदेश की संख्या एवं तारीख	रकम जिसके लिए क्रय आदेश प्राप्त हुए	प्रदायित माल की रकम	क्रय आदेश की संख्या एवं तारीख	रकम जिसके लिए क्रय आदेश प्राप्त हुए हुए	प्रदायित माल की रकम

मै यह घोषणा करता हूं कि आवेदन में दिये गये उपरोक्त समस्त तथ्य सही है और मेरा उद्यम स्तम्भ संख्यांक 10 में उल्लिखित वस्तुओं का उत्पादन कर रहा है।

दिनांक :

हस्ताक्षर

(आवेदक का नाम मय
मद की मुद्रा)

प्रमाण पत्र

(खण्ड 10 देखिए)

पत्रावली सं. दिनांकः

यह प्रमाणित किया जाता है कि मैसर्स...का दिनांक .... द्वारा निरीक्षण किया गया और उद्यम द्वारा उल्लिखित तथ्य आवेदक द्वारा दर्शित अभिलेख के अनुसार सही है। उद्यम इस अधिसूचना के अधीन कीमत अधिमानता या क्रय अधिमानता या दोनो के लिए पात्र है। यह प्रमाण पत्र इसके लिए जारी किये जाने की तारीख से एक वर्ष के लिए विधिमान्य है।

कार्यालय मुद्रा

हस्ताक्षर
(अधिकारी का पूरा नाम)
महाप्रबंधक
जिला उद्योग केन्द्र
रबर मुद्रा/स्टाम्प

शपथ पत्र का रूप विधान (प्रारूप "ख")

(खण्ड 11 देखिए)

मैं.. पुत्र .... आयु .... वर्ष, ... का निवासी, मैसर्स .... का स्वत्वधारी/भागीदार/निदेशक, इसके द्वारा सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ और घोषणा करता हूँ कि:–

(क) मेरे/हमारे उपरोक्त उल्लिखित उधम मैसर्स .... को जिला उधोग केन्द्र .... द्वारा उधम संबंधी ज्ञापन भाग–II की अभिस्वीकृति जारी की गयी है। अभिस्वीकृति सं......................... दिनांक .... निम्नलिखित वस्तुओं का विनिर्माण करने के लिए जारी की गयी है:–

वस्तु का नाम	उत्पादन क्षमता (वार्षिक)
(i)	
(ii)	
(iii)	
(iv)	
(v)	

(ख) मेरी/हमारी उपरोक्त उल्लिखित उधम संबंधी ज्ञापन भाग–II की अभिस्वीकृति उधोग विभाग द्वारा रद्द या प्रत्याहृत नहीं की गयी है तथा यह कि उधम उपरोक्त वस्तुओं का नियमित रूप से विनिर्माण कर रहा है।

(ग) मेरे/हमारे उधम के पास समस्त अपेक्षित संयत्र और मशीनरी है और उपरोक्त उल्लिखित वस्तुओं का विनिर्माण करने के लिए पूर्ण रूप से सुसज्जित है।

स्थान:–

हस्ताक्षर
स्वत्वधारी/निदेशक प्राधिकृत
हस्ताक्षरी
मय रबर स्टाम्प एवं दिनांक

परिशिष्ट "ई"

महानिदेशालय कारागार राजस्थान जयपुर

Spice Grinding Pulvenizer के संबंध में एफ.ओ.आर., मात्रा, नाप, स्पेशिफिकेशन आदि का विवरण निम्न प्रकार है:–

(क) एफ.ओ.आर. : महानिदेशालय कारा. राज. जयपुर (ख)कुल आपूर्ति अवधिः 20 दिवस
(ग) स्पेशिफिकेशन एवं प्रति नग मात्रा :–कुल 07 नग

1- Specification for Spice Grinding Pulvenizer :-

SPECIFICATIONS AND FEATURES DETAIL OF SPICES GRINDING PULVENIZER CHAKKI		
S.N.	**Particular**	**Specifation**
1.	SPICES GRINDING PULVENIZER	1. Big size Feeding Hopper S S 2. Material -S S 304 Body , Special Grinding Rotor 3. Heavy Duty Motor for continous grinding 4. Big size Feeding Hole 5. 3 HP Motor ISI Or ISO, Copper Wiring , RPM -2800 6. Model- Single Phase 7. Grinding Capacity - 20 to 30 Kg/Hr 8. Uses- Commercial Purpose 9. Pulvenizer Chambar Minmum Size - 10 X 5 inch or 10X6 inch. 10.Motor Protecting overload Control Switch or MCB 11.Grinding Chamber- Aluminium / SS Steel 12.Operation Mode- Semi Automatic 13.Warranty- I Year 14.Model- Two in One for Spices & Others

इन्स्टॉलेशन से संबंधित समस्त कार्य फर्म द्वारा ही संबंधित कारागृहों पर किया जावेगा।

नमूना एवं परीक्षणः–

1. परीक्षण/निरीक्षण प्रभारः– सामान प्राप्त होने पर सामान का परीक्षण/निरीक्षण करवाया जा सकता हैं। उसके परीक्षण/निरीक्षण प्रभार विभाग द्वारा वहन किये जावेगें। यदि परीक्षण/निरीक्षण परिणामों से यह ज्ञात हो कि सप्लाई किया गया सामान विहित स्तर पर या स्पेशिफिकेशन के अनुसार नही है तथा माल रिजेक्ट कर दिया जाता है तो परीक्षण/निरीक्षण प्रभार बोलीदाता से वसूल किये जावेगें।
2. विभाग चाहेगा तो बोली सूचना में अंकित आईटम का डेमोस्ट्रेषन/प्रजेन्टेशन करवाया जा सकेगा। डेमोस्ट्रेषन/प्रजेन्टेशन में असफल पाये जाने पर बोली पर विचार नही किया जावेगा।
3. उपरोक्त Spices Grinding Pulvenizer की वारंटी अवधि (समस्त पार्ट्स/पुर्जे) 01 वर्ष की होगी जिसकी समयावधि का प्रारम्भ विभाग द्वारा आपूर्ति किये गये को स्वीकार किये जाने की तिथि से होगा।

महानिरीक्षक कारागार–I
राजस्थान, जयपुर

मैनें/हमने उपरोक्त समस्त शर्तो को ध्यानपूर्वक पढकर अच्छी तरह समझ लिया है तथा समस्त शर्तो के पालन हेतु सहमत हूँ/है इस आशय हेतु प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर कर दिये है।

हस्ताक्षर निविदादाता मय मोहर
(बोली की समस्त शर्तो स्वीकार करने के प्रमाण के रूप में)